अलवर

24.3.25 पत्रावली पेश हुई निर्णय हुक्म से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया निर्णय प्रति हुक्म से तहसीलदार अलवर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे!

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/30	08.03.2022	136 LR Act	२५.03.2025

उनवान

1:–अली मौहम्मद पुत्र दूल्ली जाति मेव निवासी ग्राम देसूला तहसील अलवर

प्रार्थी

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू०अ० अलवर।

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अली मौहम्मद पुत्र दुल्ली जाति मेव निवासी ग्राम देसूला तहसील अलवर जिला अलवर राजस्थान का रहने वाला है राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–74 में खाता संख्या 185 जिस पर खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.22 हैक्टर, 1834 रकबा 0.34 हैक्टर, 1835 रकबा 0.02 हैक्टर, 1842 रकबा 0.77 हैक्टर, कुल किता 04 रकबा 1.35 हैक्टर, वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर जिला अलवर में जिसमें प्रार्थी का 1/2 भाग है प्रार्थी का उक्त खाते में नाम मौहम्मद पुत्र दुल्ली लिखा हुआ है जबकि वास्तव में प्रार्थी का नाम अली मौहम्मद पुत्र दुल्ली है। प्रार्थी की अन्य आराजी खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.39 हैक्टर, भी ग्राम देसूला में स्थित है जिसका खाता संख्या 184 है जिसमें भी प्रार्थी का 1/2 भाग है उक्त आराजी के खाते में प्रार्थी का नाम अली मौहम्मद दर्ज है।

प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड में भी प्रार्थी का नाम अली मौहम्मद दर्ज है प्रार्थी के नाम के आगे अली लगने से सहबन से रह गया है जो एक क्लरिकल भूल है अली मौहम्मद एक ही व्यक्ति है विभिन्न न्यायिक नजीरो मे यह सिद्धान्तो में यह प्रतिपादित किया है कि दौरान बन्दोबस्त राजस्व रिकॉर्ड में कोई त्रुटी कारित की जाती है तो उसे कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्त किया जाना न्याय हित है जिस हेतू मौजुदा प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान के श्रवण योग्य है

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड में जहा भी उपरोक्त आराजी के खाते में जहा भी प्रार्थी का नाम मौहम्मद दर्ज है उसके स्थान पर अली मौहम्मद दुरूस्त करने के आदेश पारित किया जावें श्रीमान की अति कृपा होगी।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई त रिपोर्ट कमांक:भू0अ0/2024/5439 अनुसार 31–7–2024 के अनुसार मुताबिक जमाबन्दी ल के खाता न0 185 में मोहम्मद पुत्र दुल्ली जाति मेव हि01/2 सा० देह खातेदार खसरा 0 1805/0.22, 1834/0.34, 1835/0.02, 1842/0.77 किता 04 रकबा 1.35 है0 दर्ज कोर्ड है

ताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2051–2070 वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर राजस्व रिकार्ड ी स्थिति निम्नानुसार है

हाल रिकार्ड की स्थिति अनुसार		सम्वत 2051 की स्थिति अनुसार	
हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	खसरा नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा मे
1805	0.22	1038	0.18
1834	0.34	1057 मी0	1.09
1832	0.02	1057 मी0	
1842	0.77	1064	3.01

मुताबिक नामान्तकरण स0 52 वसीयत बुधा पुत्र छोटे खा जाति मेव के स्थान पर रहमत मोहम्दा पुत्र दुली जाति मेव सा० देह खातेदार दर्ज हुआ है नामान्तकरण स0 52 वसीयत के अनुसार अंकन सही है दुरुस्ती का प्रकरण नहीं है प्राथी नाम परिवर्तन दुरुस्ती के लिये सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है

अतः मुताबिक रिपोर्ट के नामान्तकरण स० 52 वसीयत के अनुसार अंकन सही है। दुरुस्ती का प्रकरण नहीं है प्रार्थी मोहम्मद पुत्र दुल्ली के स्थान पर अलीमोहम्मद पुत्र दुल्ली नाम परिवर्तन दुरुस्ती के लिये सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है सकारात्मक निराकरण किया जाकर जाँच रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2)1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी का वसीयत नामा0 स0 52 दर्ज किया गया वसीयत बुधा पुत्र छोटे खॉ जाति मेव के स्थान पर रहमत, मोहम्मद पुत्र दुली का अंकन किया गया जिसके अनुसार मोहम्मद

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

दुल्ली 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया जो वर्तमान में लगातार चला आ रहा है कोई राजस्व नहीं हुई है जो आदिनांक तक हाल राजस्ब रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र आराजी का वसीयत नामान्तकरण अनुसार अंकन सही सत्य है किसी भी प्रकार की त्रृटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है ाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

प्रार्थी द्वारा आधार कार्य स0 4288 1173 8972 एंव पेन कार्ड स0 DXNM3371P तथा की प्रति के आधार पर राजस्व अभिलेखो मे नाम मे परिवर्तन चाहा गया जिसके आधार पर करण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण ावेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद ायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर